सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.स. NCST/ATY-1016/RJ/3/2023-APCR **दिनांक:26.07.2024**

सेवा में,

1. **श्री शुभम चौधरी**
कलेक्टर, कोटपुतली बहरोड़
जिला- कोटपुतली बहरोड़ -303108
राजस्थान
Email:dm.kotputli.behror@rajasthan.gov.in

2. **श्रीमति रंजिता शर्मा**
पुलिस अधीक्षक
कोटपुतली बहरोड़
जिला- कोटपुतली बहरोड़ -303108
राजस्थान

विषय: पुलिस थाना सरुणड, जयपुर ग्रामीण के द्वारा बिना तथ्यों के दूषित जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के विषय मे अभ्यावेदन - श्री बलवन्त सिंह मीना, जयपुर का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त सुनवाई का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि सुनवाई में लिए गए निर्णयों व आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट इस आयोग को 15 दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय

(एच.आर. मीना/ H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-

श्री बलवंत सिंह मीणा
हाउस नंबर 68/82 आरएचबी,
प्रतापनगर, सोंगानेर,
जयपुर, राजस्थान
Mobile No: 9929130002

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-1016/RJ/3/2023-APCR

श्री बलवंत सिंह मीणा, हाउस नंबर 68/82 आरएचबी, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत

सुनवाई की तिथि : 27.06.2024, 02:40 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्री बलवंत सिंह मीणा, हाउस नंबर 68/82 आरएचबी, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान से दिनांक शून्य की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उनका कहना है कि उनकी जमीन पर श्री प्रकाश पुत्र श्री मोठू राम व उसके परिजनों ने अतिक्रमण किया हुआ है, इस जमीनी विवाद के प्रकरण में थाना अधिकारी सरुंड ने आरोपी के साथ मिलकर तथ्यों के सत्यता जांचे बिना ही गलत एवं दूषित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में पुनः जांच करवाने व दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करवाने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है।

2. आयोग द्वारा इस मामले को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- जयपुर राजस्थान के साथ दिनांक 13/04/2023 को उठाया गया था और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

3. जिसके सम्बंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- जयपुर राजस्थान की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, आयोग द्वारा दिनांक 27.06.2024 को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- जयपुर राजस्थान के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में तहसीलदार बहरोड़ व मंड़ल अधिकारी कोटपुतली उपस्थित हुए, शिकायतकर्ता श्री बलवंत सिंह मीणा भी प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित हुए।

5. प्रकरण की सुनवाई में तहसीलदार बहरोड़ व मंड़ल अधिकारी कोटपुतली ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होने बताया कि उन्होने दोनों पक्षों को पाबंद कर रखा है।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. एक बार पुनः मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जाए

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2. SC/ST(PoA) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए

3. मामले की अगली सुनवाई में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- कोटपुटली को आयोग के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है

4. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाए

आशा लकड़ा
11/07/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

National Commission for Scheduled Tribes

Case File No.- NCST/ATY-1016/RJ/3/2023-APCR

List of Participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from the O/o District Magistrate and Superintendent of Police, Distt.- Jaipur, Rajasthan

Shri Rajendra Kumar Burdak, C.O. O/o Superintendent of Police
Shri Abhishek Yadav, Tehsildar, Behror O/o District Magistrate

Petitioner
Shri Balwant Singh Meena